

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, म.प्र., भोपाल – 462003

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित हैंडबुक मॉडल पर आधारित

मैनुअल्स –17

अध्याय–18

पृष्ठ–62

दिसम्बर 2022 की स्थिति में

अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1— हैण्डबुक की पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल की जानकारी।

1.2— हैण्डबुक का उद्देश्य

हैण्डबुक में बिंदु क्रमांक 1.1 में वर्णित 17 मैनुअल की जानकारी दी गई है।

1.3— हैण्डबुक की उपयोगिता

राजभवन के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

1.4— हैण्डबुक का प्रारूप

इस हैण्डबुक में 18 अध्याय हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित जानकारी शामिल है।

1.5— परिभाषाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम 5 की धारा 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुरूप है।

1.6— संपर्क व्यक्ति

हैण्डबुक में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

1.7 हैण्डबुक में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भी राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय -2 (मैनुअल-1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1- लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

2.2- लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

बिंदु क्रमांक 2.1 के अनुसार

2.3- लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

1 नवंबर 1956 को नव गठित मध्यप्रदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का गठन हुआ है।

2.4- लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

1. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत माननीय राज्यपाल को सौंपे गये विभिन्न कर्तव्य

2.1 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति - 1. अवधेश प्रताप सिंह वि.वि.रीवा 2. बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल 3. देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर 4. जीवाजी वि.वि. ग्वालियर 5.रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर 6. विक्रम वि. वि. उज्जैन 7. जवाहरलाल कृषि वि.वि. जबलपुर 8. म.प्र. भोज (मुक्त) वि. वि. भोपाल 9. चित्रकूट ग्रामोदय वि.वि. चित्रकूट 10. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल 11. महर्षि पाणिनी, संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं 12. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, 14. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, 15. मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 16. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 17. डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, 18. सांची बौध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन, 19 राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 20. पंडित एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय शहडोल, 21. राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा.

2.2 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष (विजिटर) :-

प्रदेश में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)

अधिनियम, 2007 अंतर्गत स्थापित होने वाले समस्त निजी विश्वविद्यालय

3. निम्नांकित संस्थाओं/समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कर्तव्य/शक्तियां

- | | |
|---|--------------|
| 1. अमलगमेटेड एक्स सर्विसमेन बेनीवोलेंट फंड | - चेयरमेन |
| 2. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, एम.पी.ब्रांच | - प्रेसीडेंट |
| 3. म.प्र. बाल कल्याण परिषद | - प्रेसीडेंट |
| 4. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन (एफको) | - प्रेसीडेंट |

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 5. | मध्यप्रदेश टी.बी. एसोसियेशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट | – संरक्षक |
| 6. | मध्यप्रदेश भारत स्काउट एवं गाईड | – संरक्षक |
| 7. | मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | – एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी |
| 8. | मध्यप्रदेश तुलसी मानस प्रतिष्ठान | – मुख्यसंरक्षक |
| 9. | Madhya Pradesh Welfare Association
for the Blind Indore | – मुख्यसंरक्षक |
| 10. | The Blind Association Bhopal | – मुख्यसंरक्षक |

- 2.5– लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य – बिंदु क्रमांक 2.4 के अनुसार
- 2.6– लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण – निरंक
- 2.7– लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा संलग्न परिशिष्ट “अ” पर
- 2.8– लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं– निरंक
- 2.9– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था – निरंक
- 2.10– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था
- माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त शिकायतें निराकरण हेतु राज्य शासन को भेजी जाती है।
- 2.11– मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (पतों का जनपदवार वर्गीकरण)

राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल

पिन कोड 462052

- 2.12– कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.00 बजे
कार्यालय के बंद होने का समय : सायंकाल 06.00 बजे

**अध्याय- 3 (मैनुअल -2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य**

3.1-

पद का नाम	<u>राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1 राज्यपाल सचिवालय के विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त शक्तियां
	वित्तीय	1 म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	राजभवन सचिवालय की समस्त गतिविधियां इनके निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित होंगी।
कर्तव्य		उपरोक्तानुसार सौंपी गई शक्तियों का शासन के नियमानुसार पालन करना।

पद का नाम	<u>राज्यपाल के अपर/उपसचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>1. राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय प्रमुख</p> <p>2. प्रदेश स्थित शासकीय विश्वविद्यालय:- देवी अहिल्या वि. वि. इंदौर, जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल, भोज मुक्त वि.वि. भोपाल, विक्रम वि.वि. उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पंडित एस. एन.शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित पत्राचार एवं समन्वय।</p> <p>3. प्रदेश स्थित समस्त निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य।</p> <p>4. आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर माननीय राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट से संबंधित मामले।</p> <p>5. लोक सेवा आयोग एवं लोकायुक्त संगठन की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित कार्य।</p> <p>6. मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, रेडक्रास सोसायटी, बाल कल्याण परिषद तथा विभिन्न संस्थाओं जिनके माननीय राज्यपाल महोदय अध्यक्ष/संरक्षक है से संबंधित कार्य।</p>

	वित्तीय	म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य		सौंपी गई समस्त शक्तियों का नियमानुसार पालन करना

पद का नाम	राज्यपाल के विधि अधिकारी
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति /प्रख्यापन हेतु प्राप्त होने वाले विधेयको एवं अध्यादेशों का परीक्षण करना विधिक प्रकरणों का परीक्षण एवं अभिमत देना संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत दया याचिका पर अभिमत देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं पेंशन नियमों के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित अपील/अभ्यावेदनों का परीक्षण एवं अभिमत देना। म.प्र. के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों पर आवश्यकतानुसार विधिक अभिमत माननीय राज्यपाल महोदय तथा राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य।

पद का नाम	नियंत्रक हाउसहोल्ड	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. राजभवन हाउसहोल्ड कक्ष के प्रभारी के रूप में विधिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्य।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 	<p>राजभवन का संपूर्ण रखरखाव एवं सामग्री प्रबन्धन।</p> <p>माननीय राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अतिथियों की समस्त व्यवस्थायें।</p> <p>राजभवन में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा संबंधी समस्त व्यवस्थायें</p> <p>राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था</p>

पद का नाम	राज्यपाल के अवर सचिव (वित्त) (लेखा अधिकारी)	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1. कक्ष के स्टॉफ पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं स्थापना
	वित्तीय	1 राज्यपाल सचिवालय के आहरण एवं संवितरण का कार्य 2 राज्यपाल (भत्ते व परिलब्धियाँ) नियम 1987 के अंतर्गत प्रावधानित राशि से संबंधित कार्य
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	राज्यपाल के सचिवालय के लेखा, वित्त, बजट से संबंधित कार्य
	2	माननीय के यात्रा प्रवास संबंधी व्ययों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही
	3	राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था
	4	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित स्वत्वों का भुगतान समय पर होने बाबत कार्यवाही
	5	कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करना
	6	राजभवन परिसर में कार्यरत बैंक एवं पोस्ट आफिस से समन्वय

पद का नाम	राज्यपाल के परिसहाय	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1. परिसहाय कार्यालय के स्टॉफ का प्रशासनिक नियंत्रण 2. राजभवन के सुरक्षा संबंधी समस्त प्रशासकीय कार्यों पर नियंत्रण 3. राजभवन गैरेज का प्रशासकीय नियंत्रण.
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	माननीय की आवश्यकतानुसार संपूर्ण समय (24घंटे) अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखना।
	2	शहर में आयोजित कार्यक्रमों में माननीय के जाने/आने की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा माननीय के साथ रहना।
	3	माननीय के प्रवास से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा साथ रहना
	4	राजभवन में पधारने वाले विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अतिथियों को रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डा जाकर रिसीव तथा सी-आफ करना
	5	माननीय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन उपरांत एगेंजमेंट डायरी तैयार करना एवं आने वाले आगंतुकों को उपस्थिति समय की जानकारी देना
	6	माननीय के आगमन/प्रस्थान के समय संबंधित वाहन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना
	7	राजभवन में राष्ट्रीय झंडा का आरोहन/अवतरण तथा रेड लाइट चालू/बंद हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना
	8	माननीय के कार्यक्रम के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के मध्य समन्वय

पद का नाम	<u>राज्यपाल के विशेष सहायक</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. कक्ष से संबंधित स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4 5 6. 7.	माननीय को प्राप्त ज्ञापन, शिकायत, मांग, याचिकाएँ एवं अपील से संबंधित पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करना। लोक सूचना अधिकारी राजभवन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन। दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना नववर्ष, दीपावली, ईद आदि पर्व के शुभकामना पत्रों का प्रेषण एवं सूची अद्यतन रखना। राजभवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्व एवं कार्यक्रमों के आमंत्रण सूची अद्यतन कर प्रेषण। शासन से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संबंधी नस्तियों का संधारण एवं टीप सहित प्रमुख सचिव/सचिव/माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना। विविध पुरस्कार यथा इंदिरा गांधी, जीवन रक्षा पदक, पद्मश्री, राष्ट्रपति पदक आदि से संबंधित पत्राचार
पद का नाम	<u>राज्यपाल के प्रेस अधिकारी</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	प्रेस कक्ष के स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4 5	प्रेस प्रतिनिधियों/जनसंपर्क विभाग से प्रभावी समन्वय प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/स्थानीय घटना का संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवरण प्रतिदिन माननीय के अवलोकनार्थ तैयार करना माननीय के उद्बोधन/भाषण का प्रारूप तैयार कर प्रमुख सचिव /सचिव से अनुमोदन प्राप्त करना माननीय के कार्यक्रमों का प्रकाशन/प्रसारण प्रभावी ढंग से करना माननीय के संदेश तैयार करना
पद का नाम	<u>सहायक सत्कार अधिकारी</u>	
कर्तव्य	1. राजभवन भोपाल एवं राजभवन पचमढ़ी की सत्कार संबंधी समस्त व्यवस्थाएं 2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य	
पद का नाम	<u>कैटरिंग मैनेजर</u>	
कर्तव्य	1. राजभवन की खानपान से संबंधी समस्त व्यवस्थाएं 2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य	

पद का नाम	<u>राज्यपाल के निज सचिव</u>	
कर्तव्य	1	माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों, माननीय लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, म.प्र. लोक सेवा आयोग के सदस्यों
	2	की नियुक्तियां एवं अवकाश संबंधी नस्त्रियों का संधारण
	3	माननीय के राज्य के बाहर की यात्राओं की अनुमति राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त करना
	4	माननीय राज्यपाल के नाम से प्राप्त पत्रों को माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना
	5	शासन से प्राप्त विधेयकों/अध्यादेशों पर माननीय की अनुमति प्राप्त कर शासन को प्रेषित करना।
	6.	माननीय राष्ट्रपति महोदय को मासिक प्रतिवेदन समय पर तैयार कर प्रेषित करना।
		माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद के सदस्यों की शपथ/त्यागपत्र/विभागो का वितरण आदि से संबंधित समस्त कार्यों की नस्त्रियों का संधारण।
पद का नाम	<u>सुरक्षा अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	राजभवन में कार्यरत सुरक्षा स्टॉफ पर नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	सुरक्षा के संबंध में परिसहाय से समन्वय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, अपर सचिव एवं उपसचिव द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही।
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय एवं उनके परिवार तथा राजभवन की सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य

पद का नाम	<u>राज्यपाल के निज सहायक</u>	
शक्तियां	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, उपसचिव /अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय के व्यक्तिगत कार्यों एवं व्यवस्था की देखरेख।
	2.	राज्यपाल के निज सचिव को आवंटित समस्त कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

पद का नाम	<u>राज्यपाल के ओ.एस.डी.</u>	
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों का निर्वहन करना

जनजातीय प्रकोष्ठ

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र. एफ2-14/2011/एक, दिनांक 08 अप्रैल 2022 द्वारा म.प्र. की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु निम्नानुसार जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है :-

1. श्री दीपक खाण्डेकर, सेवानिवृत्त भाप्रसे – अध्यक्ष
 2. श्री बी.एस. जामोद – सदस्य सचिव
 3. श्री भंगु सिंह रावत – विधि विशेषज्ञ
 4. डॉ. दीपमाला रावत – विषय विशेषज्ञ
 5. श्री विक्रान्त सिंह कुमरे – विधि सलाहकार
- प्रकोष्ठ को सचिवालयीन सहायता जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी
 - प्रकोष्ठ का प्रशासकीय विभाग जनजातीय कार्य विभाग होगा

म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./383/1045/2022/1/25 दिनांक 16 अगस्त 2022 द्वारा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सदस्यों सेवा शर्तें एवं मानदेय का निर्धारण किया गया है-

प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष अथवा शासन आदेश होने तक (जो भी पहले हो) होगा।

क्र.	सदस्य का नाम	वेतन/मानदेय
1	अध्यक्ष	भाप्रसे के सेवानिवृत्त अधिकारी <ul style="list-style-type: none">● मूल वेतनमान एवं कुल परिलब्धियों में से पेंशन की राशि को कम करते हुए शेष राशि मानदेय के रूप में देय होगी।● सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित किये गये पदनाम/पद पर मध्यप्रदेश शासन (राज्य शासन) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही, समस्त सुविधाएँ।
2	विषय विशेषज्ञ	विषय विशेषज्ञ हेतु रु. 75000/- (पचहत्तर हजार) प्रतिमाह एवं विधि सलाहकार को रु. 01.00 (एक लाख) प्रतिमाह मानदेय एवं राज्य शासन प्रथम श्रेणी के अनुरूप यात्रा भत्ता/ठहरने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
	विधि सलाहकार	

राजभवन – मध्यप्रदेश

अध्याय – 4 (मैनुअल – 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1

अभिलेख का नाम – राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम 1982	अभिलेख का प्रकार – विनियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – राज्यपाल के वेतन भत्ते के संबंध में उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता –	राजभवन-मध्यप्रदेश भोपाल दूरभाष – 0755 –2858817 फैक्स – 0755 – 2858825 ई-मेल आईडी – mprajbhavan@ mp.gov.in

अभिलेख का नाम –	अभिलेख का प्रकार – विनियम
1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 2. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 3. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 4. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1991 5. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 6. इंडियन रेडक्रास सोसायटी म.प्र. ब्रांच रेग्युलेशंस 7. म.प्र. बाल कल्याण परिषद, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेग्युलेशंस 8. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 9. ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (राजमाता विजयाराजे सिंधिया) 10. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 11. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 12. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 14. म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 15. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम –2015 16. सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम –2012, 17. पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम-2016	
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के संचालन हेतु उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
<u>अनारक्षित वर्ग</u>	
1. श्री ओम प्रकाश शर्मा, 104, रामकृष्ण नगर, झाबुआ (म.प्र.) मो.94251-02004	दिनांक 15.09.2020 से दिनांक 14.09.2023 तक
2. डॉ. सुनीता जोशी, 2, एम.आई.जी., 4, अहिल्या पुरी, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (म.प्र.) मो. 99935-57017	—तदैव—
3. श्री विश्वास व्यास, 68-ए, मिश्रा नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर मो. 99772-22322	—तदैव—
<u>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</u>	
4. डॉ. जगदीश चौहान, इन्दौर	—तदैव—
<u>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</u>	
5. श्रीमती मोनिका गौड, 16, बाबू मुराई कालोनी, गली नं. 1, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर मो. 99090-44473	—तदैव—
<u>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</u>	
6. श्री अनंत पंवार, 1281, स्कीम नं. 71, सेक्टर बी, इन्दौर मो. 98932-87223, 62653-77712	—तदैव—

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग :	
1 श्री राजेश सिंह कुशवाहा, 22, डाबरी पीठा, तिलक मार्ग, उज्जैन मो. 9425093393	दिनांक 24.10.20 से दिनांक 23.10.23 तक
2 श्री सचिन दवे, 24, तेनसिंह मार्ग, धार (म.प्र.) मो. 9827308286	—तदैव—
3 श्री संजय नाहर, एडवोकेट, 70, नाकोडा कुंज, वरुची मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) मो. 9827274704, 8989687368	दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 14.04.2024 तक
अनुसूचित जाति वर्ग :	
4 सुश्री ममता बेंडवाल, 5, विष्णुपुरा, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास, उज्जैन मो. 9584457388	दिनांक 24.10.20 से दिनांक 23.10.23 तक
अनुसूचित जनजाति वर्ग :	
5 श्रीमती कुसुमलता निंगवाल, प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर मो. 9425948499	—तदैव—
अन्य पिछड़ा वर्ग :	
6 डॉ. विनोद यादव, चिंतामन गणेश मंदिर के पास, पो. चिंतामन, जवासिया, उज्जैन मो. 9826929529	—तदैव—

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
<u>अनारक्षित वर्ग</u>	
1 श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एबी रोड पेट्रोल पम्प के पास, मोहना जिला ग्वालियर-475330 मो. नं. 9340354481, 9752666257	दिनांक 13.05.2022 से दिनांक 12.05.2025 तक
2 श्री शिवेन्द्र सिंह राठौड़, आर्मी बजरिया, कंपू, लश्कर, ग्वालियर मो. 79995-08305	दिनांक 15.09.2020 से दिनांक 14.09.2023 तक
3 डॉ. विवेक सिंह भदौरिया, बी-10, विवेक विहार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 9926689891	दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2025 तक
<u>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</u>	
4 सुश्री संगीता चौहान वाल्मीकि, हेम सिंह की परेड, करवारी मोहल्ला, लश्कर, ग्वालियर मो. 75096-57732, 96179-7359	दिनांक 15.09.2020 से दिनांक 14.09.2023 तक
<u>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</u>	
5 श्रीमती शेवंती भगत, हमीर सिंह नगर, उनाव रोड, दतिया (म.प्र.) मो.नं. 94246-55844	दिनांक 25.04.2021 से दिनांक 24.04.2024 तक
<u>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</u>	
6 श्री संजय यादव, ग्राम-मोहनपुर, पो.-मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) मो. 8120813707	दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2025 तक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1 प्रो. एम. पी. सिंह, (पूर्व संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय), 124, चांदगंज गार्डन एक्सटेंशन, सेक्टर-बी, अलीगंज (सीएम-7 के सामने) लखनऊ - 226024 फोन नं. 0522-2330089, मो. 094157-59856	दिनांक 24.01.2020 से दिनांक 23.01.2023 तक
2 श्री संजय कुमार त्रिपाठी, नई बस्ती, पुराने रोजगार कार्यालय के पास, जयप्रकाश वार्ड क्र. 10, कटनी (म.प्र.) 70003-68310	दिनांक 09.02.2022 से दिनांक 08.02.2025 तक
3 श्रीमती कांति रावत मिश्रा, 82, न्यू राम नगर कालोनी, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) मो. 9425151125, फोन नं. 0761-2460309	दिनांक 13.02.2022 से दिनांक 12.02.2025 तक
अनुसूचित जाति प्रवर्ग	
4. डॉ. कैलाश जाटव, बी.ए.एम.एस., पूर्व विधायक, मकान नं. आर-20, अवधपुरी कालोनी, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर-482001 मो. 94258-63883	दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2025 तक
अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	
5. श्री पंकज सिंह तेकाम, देवरा तिराहा, मुडकी रोड, डिंडोरी मो. 94248-53788	दिनांक 02.11.20 से दिनांक 01.11.23 तक
अन्य पिछड़ा प्रवर्ग	
6. सुश्री सीमा पटेल, न्य.एच. 111, बरगी हिल्स, जबलपुर-482003 मो. 94797-57552	दिनांक 02.11.20 से दिनांक 01.11.23 तक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1 श्री अजय मिश्रा, बध्वण ज्योत्सना पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल, एस.बी.आई. मेन ब्रांच के पास, सीधी (म.प्र.) मो. 9425178174	दिनांक 24.11.2021 से दिनांक 23.11.2024 तक
2 श्री प्रकाश त्रिवेदी, 249, वल्लभ नगर, उदयन मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) मो. 9425195900	—तदैव—
3 डॉ. अर्पिता अवस्थी, प्रोफेसर (शा. टी.आर.एस. कालेज), द्वारा डॉ. अभिताभ अवस्थी, ज्ञान गंगा आर्थो सेंटर, बोडा बाग रोड, रीवा (म.प्र.) मो. 79876-43031, 94247-78175	दिनांक 05.08.2022 से दिनांक 04.08.2025 तक
अनुसूचित जाति	
4 श्रीमती सरोज गूजर, पोस्ट आफिस चौराहा, नागौद जिला सतना (म.प्र.) मो. 9425886446	दिनांक 08.02.2021 से दिनांक 07.02.2024 तक
अनुसूचित जन जाति	
5 श्रीमती संचिता सर्वटे, सरस्वती स्कूल के पास, वार्ड क्र. 09, पाण्डव नगर जिला शहडोल (म.प्र.) मो. 9340289579	दिनांक 08.02.2021 से दिनांक 07.02.2024 तक
अन्य पिछड़ा वर्ग	
6 श्री दीपक कुमार सोनी, लाल बिल्डिंग के पास, गांधी गंज, कटनी-483501 (म.प्र.) मो. 94251-57374, 98270-76727	दिनांक 09.03.2022 से दिनांक 08.03.2025 तक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग :	
1 डॉ. शशिरंजन अकेला, जन संपर्क अधिकारी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल मो. 94250-94094	दिनांक 19.05.22 से दिनांक 18.05.25 तक
2 डॉ. जूही गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, शा. होम्योपैथिक मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, भोपाल मो. 94256-09774	-तदैव-
3 डॉ. रामकुमार भावसार, (09, स्टेशन रोड, शाजापुर) 35, शारदा विहार परिसर, केरवा बांध मार्ग, भोपाल-462033 मो. 99264-18800	-तदैव-
अनुसूचित जाति वर्ग :	
4 श्री व्ही. के. अहिरवार, ई-8, म.नं. 199, त्रिलंगा, भोपाल-462039 मो. 94253-93691	-तदैव-
अनुसूचित जनजाति वर्ग :	
5 डॉ. राजेन्द्र कुमार रोकड़े, सी-181, एमराल्ड पार्क सिटी, बागसेवनिया, भोपाल-462043 मो. 98264-45077	-तदैव-
अन्य पिछड़ा वर्ग :	
6 डॉ. श्रीमती भारती कुम्भारे, बी4/207, आकृति ग्रीन्स, सलैया व्हाया बाबड़िया कला, भोपाल मो. 80854-25888	-तदैव-

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1 डॉ. नितेश शर्मा, ए-1, प्रगति विहार कालोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर-474005 (म.प्र.) मो. 98260-68491	दिनांक 08.04.2022 से दिनांक 07.04.2025 तक
2 श्री राकेश शुक्ला, शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर (म.प्र.) मो. 94253-04580	-तदैव-
3 श्रीमती निर्मला नायक, अधिवक्ता, 57, मानवलोक सोसायटी, रतन नगर, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.) फोन : 0761-4005550, मो. 98931-63368, 89890-85888	-तदैव-
अनुसूचित जाति	
4 श्री मुकेश अहिरवार, ग्राम व पोस्ट करमोरा, थाना जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) मो. 97529-37460	-तदैव-
अनुसूचित जन जाति	
5 डॉ. केशव टेकाम, सी-30, यू.टी.डी. केम्पस, गौर नगर, सागर (म.प्र.) 470003 मो. 98260-72342	-तदैव-
अन्य पिछड़ा वर्ग	
6 सुश्री याकृति जडिया, रामबाग मंदिर कन्या शाला के पास, बड़ा बाजार, सागर (म.प्र.) मो. 94797-44684, 93295-65665	-तदैव-

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
<u>अनारक्षित वर्ग :</u>	
1 श्री प्रवीण गुगनानी, 47, टैगोर वार्ड, बैतूल गंज, बैतूल (म.प्र.) 460001 मो. 9425002270	दिनांक 02.11.20 से दिनांक 01.11.23 तक
2 श्रीमती लता एलकर, वार्ड नं. 33, मोतीनगर, बालाघाट मो. 94254-48032	—तदैव—
3 श्री जितेन्द्र निवारे, मु.पो. बींझापाड़ा, तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) मो. 99778-89964	—तदैव—
<u>अनुसूचित जाति वर्ग :</u>	
4 सुश्री ज्योति डेहरिया, वार्ड. नं. 13, शंकरगढ़ (हरई), तह. परासिया, जिला छिंदवाड़ा	—तदैव—
<u>अनुसूचित जनजाति वर्ग :</u>	
5 श्री संजय (कुमार) कुशराम, द्वारा श्री हरीश पटेल, ईडन गार्डन कालोनी, बिंझिया तिराहे के पास, मंडला जिला मंडला (म.प्र.) मो. : 78791-59195, 81202-53004	—तदैव—
<u>अन्य पिछड़ा वर्ग :</u>	
6 श्री गौरव पारथी, अनसेरा पोस्ट —जरामोहगांव, तह. वारासिवनी, जिला बालाघाट मो. 62604-67660	—तदैव—

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार बिसेन

कार्यकाल 23.11.2017 से 22.11.2022

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25(1) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रमण्डल में नामनिर्देशन

1. धारा 25(1) (तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति :-

नाम	अवधि
1. डॉ. डी. बी. भगत, 102, मंगलम रेसिडेंसी, 22/ए./3 मनोरमागंज, इन्दौर - 452001	दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक
2. डॉ. नितिन गुप्ता, ए-3, मेधदूत डॉ. पी.डी.के.वी. कॉलोनी, नियर एस.बी.आई. कॉलोनी, कृषि नगर, अकोला महाराष्ट्र 444001	दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक

2. अधिनियम की धारा 25(1)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषक (अशासकीय सदस्य) :-

क्र.	नाम	अवधि
1.	श्री अभय महाजन, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट सतना (म0प्र0) मो.नं. 9685116000	दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक
2.	श्री ओम ठाकुर, बरघाट रोड, सिवनी (म0प्र0) मो.नं. 9407111313	दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 11(1) के तहत प्रबंध मण्डल में व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
1 धारा 11(1)(5)– कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले 02 विख्यात वैज्ञानिक	
1 डॉ. राजेन्द्र सिंह नेगी, सीनियर साइंटिस्ट एण्ड हेड, कृषि विज्ञान केन्द्र, दीनदयाल शोध संस्थान, सतना	दिनांक 07.10.2022 से दिनांक 06.10.2025 तक
2 डॉ. यादवेन्द्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर, एक्सटेंशन सर्विसेज, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	–तदैव–
2 धारा 11(1)(6)– 02 प्रगतिशील किसान	
1 श्रीमती साधना तिवारी, ग्राम–पोस्ट माधवगढ़, जिला सतना (म.प्र.)	–तदैव–
2 श्री विनोद तिवारी, प्रेम नगर गली नं. 03, सतना म.प्र. मो. 94243–19908	दिनांक 15.09.2020 से दिनांक 14.09.2023 तक
3 धारा 11(1)(7)(दो) –01 प्रतिभाशाली महिला कार्यकर्ता अधिमानतः जो ग्रामीण उन्नति सम्बन्धी पृष्ठभूमि रखती हो	
सुश्री उर्मिला श्रीवास्तव, अध्यक्ष, सर्वोदय आश्रम, सिकन्दरपुर, टांडियावा, हरदोई–241001 (उ.प्र.) मोबाईल. 099841–49305, 087070–09645	दिनांक 07.12.2020 से दिनांक 06.12.2023 तक
4 धारा 11(1)(7)(तीन) – 01 विख्यात इंजीनियर	
इंजीनियर संजीव शर्मा, मेकेनिकल इंजीनियर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	दिनांक 07.10.2022 से दिनांक 06.10.2025 तक
5 धारा 11(1)(7)(चार) – 01 विख्यात शिक्षाविद	
डॉ. अखिलेश तिवारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस, ग्वालियर (म. प्र.)	दिनांक 26.10.2019 से दिनांक 25.10.2024 तक
6 धारा 11(1)(11) – 01 विख्यात चिकित्साविद जिसे देशी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो	
डॉ. विवेक विनायकराव धोंगड़ी, पोस्ट व तहसील अशती, जिला वर्धा मो. 94055–29287	दिनांक 15.09.2020 तक दिनांक 14.09.2023 तक

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

अधिनियम की धारा 25(1)(बारह) के अंतर्गत तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले 2 प्रतिष्ठित उद्योगपति (अशासकीय सदस्य) :-

<i>क्र.</i>	<i>नाम</i>	<i>अवधि</i>
1.	श्री मनोज मोदी, ओरियंट कागज कन्वर्टर प्रा. लिमिटेड, मंडीदीप मो. नं. 98260-55192	दिनांक 15.09.2020 से 14.09.2023 तक
2.	श्री केशव वैश्य, विकास नगर, अपोलो अस्पताल के पीछे, फोर्ट रोड, ग्वालियर, मो.नं. 9425110082	दिनांक 21.10.2020 से 20.10.2023 तक

अधिनियम की धारा 25(1)(तेरह) के अंतर्गत किसी राष्ट्रीय तकनीकी संस्था से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का 1 शिक्षाविद (शासकीय सदस्य) :-

<i>नाम</i>	<i>अवधि</i>
प्रो. ए.के. अग्रवाल, डिपार्टमेन्ट ऑफ मेकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी, (बीएचयू), वाराणसी	दिनांक 18.05.2022 से 17.05.2025 तक

अधिनियम की धारा 25(1)(तेरह-क) के अंतर्गत तीन व्यक्ति, जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य प्रवर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन तीन व्यक्तियों में से एक महिला होगी (अशासकीय सदस्य) :-

<i>क्र.</i>	<i>नाम</i>	<i>अवधि</i>
1	<u>अनारक्षित वर्ग</u> डॉ. सचिन जैन, संयुक्त सचिव, श्रीनिवास शिक्षण समिति ओमेगा कालोनी, आनंदनगर, रायसेन रोड, भोपाल मो. 88784-68786	दिनांक 20.05.2022 से 19.05.2025 तक
	<u>अनुसूचित जनजाति वर्ग</u> श्री नरेन्द्र मरावी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, ग्राम किरगी, पोस्ट राजेन्द्र ग्राम, तहसील, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) मो. 094246-94292	दिनांक 20.05.2022 से 19.05.2025 तक
3	<u>अनुसूचित जाति प्रवर्ग(महिला)</u> श्रीमती विजया रायकवार, 355, रचना नगर, भोपाल मो. नं. 98933-71047	दिनांक 15.09.2020 से 14.09.2023 तक

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

कुलपति

प्रो. एस.पी. तिवारी

कार्यकाल

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधिनियम, 2009 की धारा
22(2) के तहत बोर्ड में नामनिर्देशन

- (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और विस्तारी शिक्षा में विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद् ;

नाम

अवधि

- (1) डॉ. एस.पी. शुक्ला,
डीन, (सेवानिवृत्त)
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रीवा,
10/715, अनंतपुर (शिव दुर्गा मंदिर के पास)
रीवा म.प्र. – 487001
- 14.07.2022 से 13.07.2025 तक

- (2) डॉ. शिव चन्द्र दुबे,
भूतपूर्व डायरेक्टर,
आई.सी.ए.आर.
निवास 29-30 ईशान पार्क,
रायसेन रोड़, आनन्द नगर, भोपाल
- 13.05.2021 से 12.05.2024 तक

- (ग) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्योगों का एक प्रतिनिधि (अशासकीय सदस्य) ;
- नाम अवधि

- (1) श्री मोहन नागर,
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी
बैतूल म.प्र.
मो. 945003189
- 14.07.2022 से 13.07.2025 तक

- (घ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता (अशासकीय सदस्य) ;
- नाम अवधि

- (1) श्रीमती राधा मिश्रा,
शिव शक्तिपुरम कॉलोनी,
धावरी गली नं. 5, सतना म.प्र.
मो. 90479480751
- 14.07.2022 से 13.07.2025 तक

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कुलपति

डॉ. एस.के. राव,

कार्यकाल 26.10.2017 से 25.10.2022

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधिनियम, 2009 की धारा 27(2) के तहत बोर्ड में नामनिर्देशन

धारा 27(2)(तीन) के अंतर्गत कृषि में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले दो विख्यात कृषक (एग्रीकल्चरिस्ट) –

नाम

अवधि

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) श्री प्रकाश प्रभाकर शास्त्री,
सेवानिवृत्त डीन,
कृषि महाविद्यालय, खंडवा, | दि. 22.07.2022 से 21.07.2025 तक |
| (2) डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा,
निदेशक, रिसर्च सेवाएं, (जवाहरलाल नेहरू
कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर)
बी.-6, कृषि नगर, आधारताल, जबलपुर
मो. 9425359690 | दि. 21.09.2021 से 20.09.2024 तक |

धारा 27(2)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रगतिशील कृषक (अशासकीय सदस्य)–

नाम

अवधि

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) श्री अतुल शर्मा,
ग्राम सनोरा, जिला दतिया (म0प्र0) | दि. 21.09.2021 से 20.09.2024 तक |
| (2) श्री चतुर सिंह गुर्जर,
ग्राम चीनौर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)
मो. 9993501152 | दि. 21.09.2021 से 20.09.2024 तक |

धारा 27(2)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता (अशासकीय सदस्य) –

नाम

अवधि

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी,
ई-7/59, एस.बी.आई. कॉलोनी, अरेरा
कॉलोनी, भोपाल
मो. 9589030229 | दि. 21.09.2021 से 20.09.2024 तक |
|---|---------------------------------|

धारा 27(2)(छः) के अंतर्गत एकपशु चिकित्सा या पशुपालन वैज्ञानिक, जिसे पशु चिकित्सा या पशुपालन के अनुसंधान या शिक्षा का अनुभव हो –

नाम

अवधि

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) डॉ. प्रवीण शिन्दे,
अतिरिक्त उप संचालक, पशुपालन,
एफ. 108/29, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 9406980907 | दि. 21.09.2021 से 20.09.2024 तक |
|---|---------------------------------|

3. अधिनियम की धारा 25(1)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी एक प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता (अशासकीय सदस्य) :-

नाम

अवधि

सुश्री शोभा पैथनकर,
2/5 साऊथ हरसिद्धी,
इन्दौर, मो.नं. 9425059896

दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक

4. धारा 25(1)(छः) के अंतर्गत पशु पालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक :-

नाम

अवधि

डॉ. जी.जी. बारले,
सनफलावर विला - 10,
सुख सागर वेली,
जबलपुर

दि. 26.10.2021 से 25.10.2024 तक

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 17(2)(छः) के अन्तर्गत कार्यपरिषद में नामनिर्देशन

धिनियम की धारा 17(2)(छः) के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों का नामनिर्देशन जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रत्येक का एक व्यक्ति होगा तथा इन छः व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी :-

नाम	अवधि
1. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> श्री राजेन्द्र झालानी, आत्मज श्री बद्रीलाल झालानी, 165 शिवकृपा अलखबाग नगर, उज्जैन	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक
2. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> श्रीमती किरण शर्मा, पति डॉ. रमण सोलंकी, एफ-2/28 विक्रम विश्वविद्यालय आवास गृह, उज्जैन	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक
3. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> श्रीमती विद्या जोशी, पति श्री दिलीप जोशी, प्राचार्य, श्री राज राजेन्द्र जयंतसेन सूरि शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक
4. <u>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</u> श्री भरत बैरागी, यशोदा विहार, 97 त्रिमूर्ति नगर, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, रतलाम। मो. 9425048195	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक
5. <u>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</u> श्री सुशील वाडिया, आत्मज श्री अशोक वाडिया, बी. 18/2 नेहरू नगर नानाखेड़ा, उज्जैन (म0प्र0)	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक
6. <u>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</u> श्री केशर सिंह चौहान, 4 दीनदयालपुरम कॉलोनी, (दहाना), जिला धार। मो. 9485891183	दिनांक 10.02.2022 से 09.02.2025 तक

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 की धारा 9(12) एवं
21(1) (चार) के अन्तर्गत नामनिर्देशन

- (1) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 9(12) के अन्तर्गत एक नामांकित साधारण
परिषद सदस्य :-

नाम

अवधि

1. डॉ. सुधा दीक्षित,
प्रोफेसर संगीत,
शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भोपाल (म0प्र0) दिनांक 16.09.2020 से
15.09.2023 तक

- (2) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 21(1)(चार) के अन्तर्गत एक नामांकित विद्या
परिषद सदस्य :-

नाम

अवधि

1. डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा,
सहायक प्राध्यापक,
ललित कला विभाग,
एम.जी. काशी विद्यापीठ
वाराणसी (उ.प्र.) दिनांक 07.12.2020 से
06.12.2023 तक

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल

कुलपति

प्रो. राम शंकर

कार्यकाल 12.08.2022 से 11.08.2027

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अन्तर्गत शासी निकाय में
नामनिर्देशन

(अ) विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 (आठ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट होंगे

नाम

अवधि

1. डॉ. प्रमोद कुमार पाण्डेय,
संकायाध्यक्ष
फिजिकल साइंस संकाय
दिनांक 21-02-2022 से
दिनांक 20-02-2025 तक
2. डॉ. संतोष कुमार मिश्रा
संकायाध्यक्ष
जीव विज्ञान संकाय।
—तदैव—
3. डॉ. तारामणि श्रीवास्तव
संकायाध्यक्ष
समाज विज्ञान संकाय
—तदैव—

(ब) विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 (नौ) के अन्तर्गत तीन आचार्य, विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों को छोड़कर, जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट होंगे

नाम

अवधि

1. प्रो. शिवकुमार दुबे,
प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, भूगोल
दिनांक 25-10-2021 से
दिनांक 24-10-2024 तक
2. प्रो. प्रवीण कुमार शर्मा,
प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, भौतिक शास्त्र
—तदैव—
3. प्रो. नीलमणि दुबे,
प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, हिन्दी
—तदैव—

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत साधारण परिषद में नामांकित सदस्य :-

1. धारा-11(2)(दस) के अन्तर्गत -

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | श्री राकेश दांगी,
543 / 7, नेहरू नगर, इन्दौर
मो.नं. 9893808280, 9424478260 | अवधि
दि. 15.04.2021 से
दि. 14.04.2025 तक |
| 2 | डॉ. वंदना गाँधी,
ए-243, न्यू मिनाल रेजीडेंसी,
जे.के. रोड, भोपाल
मो. नं. 9406925560, 9425018847 | अवधि
दि. 15.04.2021 से
दि. 14.04.2025 तक |

2. धारा-11(2)(ग्यारह) के अन्तर्गत -

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | डॉ. आनंद कुमार सिंह,
5, वर्धमान परिसर, चूनाभट्टी,
कोलार रोड, भोपाल
मो.नं. 8839786715, 9826628267 | अवधि
दि. 15.04.2021 से
दि. 14.04.2025 तक |
|---|---|--|

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत कार्यपरिषद में नामांकित सदस्य—

विश्वविद्यालय के अधिनियम 2011 की धारा 17की उप धारा (2)खण्ड 6 के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य :-

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा,
निदेशक,
दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान,
भोपाल ।
मो. नं. 7388868888 | अवधि
दिनांक 08.04.2022 से
07.04.2025 तक |
| 2. | डॉ. अल्का प्रधान,
प्रोफेसर,
शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय,
भोपाल ।
मो. नं. 9425008291 | तदैव |

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 24 (1) (दस) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में चिकित्सा क्षेत्र के निम्नांकित व्यक्तियों को दिनांक 09.06.2020 से 10.06.2023 तक की कालावधि के लिए सदस्य नामांकित किया जाता है :-

- (1) **डॉ० राजेश बी० धिरावानी,** 09.06.2020 से 10.06.2023 तक
जबलपुर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर,
रसेल क्रासिंग, नेपीयर टाउन,
जबलपुर।
- (2) **डॉ० परिमल स्वामी,** 09.06.2020 से 10.06.2023 तक
मो०नं० 7389752555
जबलपुर।

(बी) प्रबंध बोर्ड

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

---::---

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 15 सहपठित परिनियम क्रमांक-5 की उपधारा (2)(3)(4) एवं (5) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को समक्ष में दर्शायी गई अवधि के लिए सदस्य नामांकित किया गया है :-

1. धारा 15(2)के अंतर्गत निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
डॉ0 अंजली सिंह, 12.05.2021 से 11.05.2024
2. धारा 15(3)के अंतर्गत प्रोफेसर
डॉ0 विभा मिश्रा,
निदेशक 22.07.2021 से 21.07.2024
3. धारा 15(4)के अंतर्गत रीडर
डॉ0 अनीता कौशल,
रीडर 22.07.2021 से 21.07.2024
4. धारा 15(5)के अंतर्गत लेक्चरर
डॉ0 हेमलता दिनकर,
व्याख्याता 12.05.2021 से 11.05.2024
5. धारा 15(6)के अंतर्गत एक विशेषज्ञ
प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी,
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्दवानी, (नैनीताल) 12.05.2021 से 11.05.2024
6. धारा 15(7)के अंतर्गत दो विशेषज्ञ
 1. श्री राजेश पाठक,
भोपाल। 05.05.2022 से 04.05.2025
 2. श्रीमती उमा शर्मा,
भोपाल। 05.05.2022 से 04.05.2025

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू

कुलपति

रिक्त

कार्यकाल

नोट :- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा उपधारा (1) के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 29.01.2022 को अधिसूचना जारी किये जाने से विश्वविद्यालय में वर्तमान में शासी निकाय तथा कार्यपरिषद का अस्तित्व नहीं रह गया है। विश्वविद्यालय के अधिनियम 2015 धारा 44 की उपधारा (1) (4) के परन्तु के अनुसार समिति की नियुक्ति करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से पैनल मांगा गया है जो अभी अपेक्षित है। दिनांक 28.07.2022 को स्मरण कराया गया है।

(म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 22 (1) उपधारा (घ) के प्रावधान अंतर्गत) माननीय कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा शासी निकाय/प्रबंध बोर्ड में नामांकित सदस्य (दिनांक 21.08.2020 की स्थिति)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के नाम	नामांकित सदस्यों का अनुमोदन माह
1	2	3

- (1) रविन्द्रनाथ टैगोर निजी विश्वविद्यालय, रायसेन *(फरवरी, 2016)*
- डॉ0 राजेश श्रीवास्तव, उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान, भोपाल
 - श्री कैलाश पंत, हिन्दी भवन, भोपाल
 - श्रीमती प्रीति उपाध्याय, भोपाल
- (2) आई0टी0एम0 निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर *(सितम्बर, 2011)*
- डॉ0 राजकुमार जैन, दिल्ली
 - डॉ0 नीलिमा चंदेल, ग्वालियर
 - श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली
- (3) ए0के0एस0 निजी विश्वविद्यालय, सतना *(मई, 2016)*
- प्रो0 कपिल देव मिश्रा, चित्रकूट
 - डॉ0 आर0एन0पटेल, रीवा
 - डॉ0 नविता श्रीवास्तव, रीवा
- (4) टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिंरोज, विदिशा *(दिसम्बर, 2012)*
- प्रो0 पी0के0वर्मा, भोपाल
 - प्रो0 पी0सी0त्रिवेदी, गोरखपुर
 - प्रो0 आर0के0पाण्डेय, भोपाल
- (5) एमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर *(सितम्बर, 2015)*
- श्री राजेश कुमार दीक्षित, भोपाल
 - श्री राजेश सिंह, अमरावती
 - डॉ0 भूपेन्द्र नाथ तिवारी, बिलासपुर
- (6) जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल *(सितम्बर, 2013)*
- डॉ0 विनय पाठक, राजस्थान
 - डॉ0 अरुण कुमार पाण्डेय, दिल्ली
 - डॉ0 एस0एम0पाल खुराना, हरियाणा
- (7) श्री सत्यसाईं टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस निजी विश्वविद्यालय, सीहोर *(फरवरी, 2014)*
- श्री राजेश कुमार सिंह, भोपाल
 - श्री जुनेद अली, भोपाल

3. श्री गुलशन कपूर, इन्दौर
- (8) एल0एन0सी0टी0 निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (सितम्बर, 2015)
1. डॉ0 बी0के0 शर्मा,
 2. श्री सुदेश कुमार,
 3. डॉ0 आर0एन0 यादव, भोपाल
- (9) स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (नवम्बर, 2015)
1. डॉ0 ए0के0ग्वाल
 2. डॉ0 यशवंत सिंह ठाकुर
 3. डॉ0 प्रभात कुमार
- (10) ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (नवम्बर, 2015)
1. श्री राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, ग्वालियर
 2. श्री रमेश गुप्ता, उद्योगपति, इन्दौर
 3. श्री अनिल खरिया, उद्योगपति, इन्दौर
- (11) पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (अगस्त, 2015)
1. प्रो0 शकूर खान, भोपाल
 2. डॉ0 आनंद सक्सेना, भोपाल
 3. श्री रमेश तिवारी, भोपाल
- (12) जे0पी0 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी निजी विश्वविद्यालय, राघोगढ़ गुना (मार्च, 2011)
1. डॉ0 पी0के0मिश्रा, इन्दौर
 2. प्रो0 बृजेन्द्र सिंह, भोपाल
 3. प्रो0 एस0पी0सिंह, इन्दौर
- (13) रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (फरवरी, 2016)
1. डॉ0 बी0एस0माने, पुणे
 2. श्री मेजर जनरल बी0एल0खन्ना, भोपाल
 3. श्री चन्द्र किशोर, भोपाल
- (14) सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (मार्च, 2016)
1. श्री सुनील पाटिल, सहायक प्राध्यापक, एसएटीआई, विदिशा
 2. डॉ0 अमरजीत सिंह, ब्रिगेडियर, सेवानिवृत्त/शिक्षाविद्
 3. डॉ0 बी0एस0माने, संयुक्त कुलसचिव, हेरिटेज प्लाजा लिंक रोड, चिंचवाड, पुणे
- (15) श्री वैष्णव विद्यापीठ निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)
1. डॉ. अनिल काकोडकर, पूर्व अध्यक्ष, एटोमिक एनर्जी कमीशन आफ इंडिया।

2. डॉ. नरेश त्रेहान, अध्यक्ष, मेदान्ता, मेडीसेक्टर 38 गुडगांव, हरियाणा।
3. डॉ.आर0ए0 मसेलकर, कुलाधिपति, ग्लोबल रिसर्च एलाइनस् नेशनल केमीकल लेबोरेटरी, पासान रोड, पुणे।

(16) मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (मई, 2016)

1. श्री सुधीर मेहता, एमडी फोर्स मोटर्स, पुणे।
2. डॉ0 एस0एम0पाल खुराना, पूर्व कुलपति, गुडगांव, हरियाणा।
3. प्रो0 प्रदीप श्रीवास्तव, आचार्य, बरकतउल्ला वि0वि0 भोपाल।

(17) मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)

1. श्री सुरेश चॉद, प्राध्यापक, फ्लैट नं0 2 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
2. डॉ. विनोद कृष्ण सेठी, सेवानिवृत्त, निर्देशक, यूटीआई एवं विभागाध्यक्ष, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. डॉ. शील सिंधु पाण्डेय, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

(18) पी0 के0 निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मई, 2016)

1. डॉ. कपिलदेव मिश्र, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. डॉ. एम.के.गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायलाजी विभाग, जीव विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. डॉ. अनिल प्रकाश, प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

(19) डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)

1. डॉ. (ब्रिगेडियर) अमरजीत सिंह, 504 ब्लू बेल फ्लॉवर वेली, वनवाडी, पुणे।
2. श्री भूपिन्दर मगन, डी-122 एन.टी.पी.सी. टाउनशिप शौर्य, सेक्टर 33 नोएडा, उ0प्र0।
3. मेजर ज0 बनवारी लाल खन्ना, सेवानिवृत्त, 20 ए कोलार रोड, लेकसाइड, चलेट, चूना भट्टी, भोपाल।

(20) मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

(21) सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

(22) जी.एच.रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा

- (23) सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (सितम्बर, 2018)
1. प्रो० एच०के० दत्ता, 13 पत्रकार कालोनी, लिंक रोड नं० 3, कोलार रोड, भोपाल ।
 2. डॉ० अनुपम पंडित, ए-2, शाहपुरा, भोपाल ।
 3. डॉ० गायत्री अग्निहोत्री, 113, रैवेरा टाउन, फेस-1, मैनिट रोड, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल ।
- (24) अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन
- (25) व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर
- (26) रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (27) मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (सितम्बर, 2018)
1. डॉ० नवीन चन्द्रा, डायरेक्टर जनरल, मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, भोपाल ।
 2. डॉ० शैलेन्द्र सिंह, ए-2 एन.आर.टी.टी.आर. कैम्पस, शांति नगर, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
 3. डॉ० शरत चन्द्र चौबे, प्रोफेसर इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग यूआईटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- (28) भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (सितम्बर, 2018)
1. प्रो० एस०डी० उपाध्याय, कृषि वैज्ञानिक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
 2. श्री विमलनाथ, 166, इंदिरा नगर मण्डीदीप
 3. श्री मेजर जनरल बनवारी लाल खन्ना, (से०नि०) 20-ए कोलार रोड, लेक साइड चालेट चूना भट्टी, भोपाल ।
- (29) मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर
- (30) सरदार पटेल निजी विश्वविद्यालय, बालाघाट
- (31) श्री कृष्ण निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर
- (32) डॉ० सी० वी० रमन निजी विश्वविद्यालय, खण्डवा
- (33) आई.ई.एस. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल
- (34) सेम ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, रायसेन
- (35) संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल
- (36) मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर
- (37) एकलव्य निजी विश्वविद्यालय, दमोह

- (38) श्री अरबिन्दो निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (39) महाकौशल निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर
- (40) प्रेस्टीज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (41) डॉ० प्रीति ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी
- (42) एल०एन०सी०टी० विद्यापीठ निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (43) टाइम्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालयों की सूची :-

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम
01.	जे0पी0 निजी विश्वविद्यालय, राघोगढ़ गुना (म0प्र0)
02.	आई0 टी0 एम0 निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)
03.	ए0 के0 एस0 निजी विश्वविद्यालय, सतना (म0प्र0)
04.	टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज विदिशा (म0प्र0)
05.	ऐमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)
06.	जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
07.	श्रीसत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सीहोर
08.	एल0 एन0 सी0 टी0 निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
09.	स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)
10.	ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
11.	पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
12.	रवीन्द्रनाथ टैगोर निजी विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ रायसेन (म0प्र0)
13.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल
14.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, (आर.के.डी.एफ.) भोपाल (म0प्र0)
15.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
16.	मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (म0प्र0)
17.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
18.	पी0 के0 निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म0प्र0)
19.	मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
20.	डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
21.	सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
22.	जी.एच. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
23.	सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
24.	अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0)
25.	व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर (म0प्र0)
26.	रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
27.	मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय भोपाल (म0प्र0)
28.	भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
29.	मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर (म0प्र0)
30.	सरदार पटेल निजी विश्वविद्यालय, बालाघाट (म0प्र0)
31.	श्री कृष्ण निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)
32.	डॉ0 सी0वी0रमन, निजी विश्वविद्यालय, खण्डवा (म0प्र0)
33.	आई.ई.एस. निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
34.	सेम ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, रायसेन (म0प्र0)
35.	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)
36.	मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)
37.	एकलव्य निजी विश्वविद्यालय, दमोह (म0प्र0)
38.	श्री अरबिंदो निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म0प्र0)
39.	महाकौशल निजी विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

40.	प्रेस्टीज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
41.	डॉ० प्रीति ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी
42.	एल०एन०सी०टी० विद्यापीठ निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर
43.	टाइम्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल

List of Organizations of which the Governor, Madhya Pradesh is President/Chairman/Chief Patron/Patron etc.

(As on 23-09-2022)

S.	Name of Organization	H.E. The Governor	Officers & Designation	Phone No
1.	Amalgamated Ex-Serviceman Benevolent Fund, Madhya Pradesh Sainik Kalyan, GTB Complex Bhopal. (M.P.)	Chairman	<u>Director</u> Brg. Arun Sahgal <u>Joint Director</u> Com. Uday Singh	2553992 2553743 9971905621 9425608605
2.	Indian Red Cross Society, Madhya Pradesh State Branch, Shiwaji Nagar, Bhopal. (M.P.)	President	<u>Chairman</u> Dr. Gagan Kolhe <u>General -Secretary</u> Mr. Pradeep Tripathi	2550441 2551657 9425147530 9425018844
3.	Madhya Pradesh Council for Child Welfare, No-5 Hostel Piplani BHEL, Bhopal. (M.P.)	President	<u>Vice President</u> Mr. Prahlad Sharma <u>Secretary</u> Mr. Anil Salwadia	2686851 8319520904 9926081171
4.	Environment Planning and Co-ordination Organization, EPCO, 1100 Qurt. Bhopal. (M.P.)	President	<u>Director General</u> Mr. Malaya Shrivastava <u>Executive Director</u> Mr. Shriman Shukla	2466859 2464318 9425790303
5.	Madhya Pradesh State Tuberculosis Association, Kamla Nehru Insitute, Idgah Hills, Bhopal. (M.P.)	Patron	<u>Chairman</u> Shri Jaipal Sachdeva <u>Secretary</u> Dr. Manoj Verma	2665614 2665439 7869919222 9827043979
6.	Madhya Pradesh Bharat Scout & Guides, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Patron	<u>State Chief Commissioner</u> Mr. Paraschandra Jain <u>State Secretary</u> Mr. Rajesh Mishra	2661263 2737446 9827041211
7.	Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Ex-officio Trustee	<u>Mantri/Director</u> Mr. Kailash Chandra Pant	2661087 2738612 9826046792
8.	Madhya Pradesh Tulsi Manas Pratishthan, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Chief Patron	<u>Officiating Chairman</u> Mr. Raghunandan Sharma	2661196 2660010 9425371947
9.	Madhya Pradesh Welfare Association for the Blind, Indore. (M.P.)	Chief Patron	<u>President</u> Dr. Anil Bhandari <u>Gen Secretary</u> Dr. G.D. Singhal	0731- 2410296 4096265 9425380937
10	The Blind Relief Association, Shiwaji Nagar, Bhopal. (M.P.)	Chief Patron	<u>President</u> Mr. Naseer Husain	2552601 9425005998
11	Madhya Pradesh Rose Society, Bhopal (M.P.)	Chief Patron	<u>President</u> Mr. Laxmendra Maheshwari <u>Secretary</u> Mr. Avinash Galande	2685250 9229314030 9425004590
12	Madhya Pradesh Universities Co-ordination Committee	Chairman		

अध्याय – 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 निरंक

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 निरंक

अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

निरंक

अध्याय – 7 (मैनुअल –6)
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण.

01

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :राज्य विश्वविद्यालय की समन्वय समिति
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार – समिति
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय– स्थापना वर्ष 1973, विश्वविद्यालय से संबंधित नीतिगत विषयों का निर्धारण
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34 के अनुसार
06	मुख्य अधिकारी का नाम– कुलाधिपति अध्यक्ष होते हैं
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– राजभवन, मध्यप्रदेश
08	बैठक की आवृत्ति – वर्ष में दो बार एवं कुलाधिपति की वांछानुसार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? – नहीं
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?– हां
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? – सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

02

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी अधिनियम, 1920 (क्रमांक 15/1920) के अंतर्गत गठित सोसायटी
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1956 उद्देश्य : संघीय गणराज्य की सशस्त्र सेना के बीमार एवं घायल सैनिकों की चलित चिकित्सा सेवा, प्रसूति एवं बाल कल्याण, नर्सिंग एवं एम्बुलेन्स वर्क, भारत एवं भारत से बाहर प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिये राहत एवं बचाव कार्य, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों को सुविधाएँ एवं कपड़े उपलब्ध कराना तथा समाज में स्वास्थ्य चेतना का प्रसार करना। मुख्य कृत्य : प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में आपातकालीन सहायता देना, ब्लड बैंक, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जूनियर एवं यूथ रेड क्रॉस का संचालन, एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता अभियान, फर्स्ट-एड ट्रेनिंग, जल एवं सफाई व्यवस्था की उपलब्धता देखना।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में)।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या –63
06	मुख्य अधिकारी का नाम	चेअरमेन
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मुख्य कार्यालय – भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल जिला शाखाएं – 48 उप शाखाएं – 54
08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा – वर्ष में एक बार। प्रबंध समिति – वर्ष में दो बार। कार्यकारिणी समिति – प्रतिमाह।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले	नहीं।

	सकती है ?	
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

03

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	Amalgamated Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-Servicemen, Madhya Pradesh. (A. S. F.)
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	बोर्ड।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 16 अप्रैल, 1952 उद्देश्य : इस निधि का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। मुख्य कृत्य : इस निधि का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को विभिन्न उद्देश्यों के लिये आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है तथा उनके बच्चों को विद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (समामेलित विशेष निधि का संचालन करना)
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या – 10
06	मुख्य अधिकारी का नाम	संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश एवं सचिव, ए.एस.एफ.
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	संचालनालय, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश, गुरु तेग बहादुर काम्लैक्स, टी.टी. नगर, भोपाल के अन्तर्गत संचालित। शाखाएँ नहीं हैं।
08	बैठक की आवृत्ति	वर्ष में एक बार।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

04

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल।
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	परिषद।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1959 उद्देश्य : महिलाओं एवं बच्चों का विकास। मुख्य कृत्य : 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के लिए झूलाघरों का संचालन। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 256 झूलाघर

		संचालित तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (महिला) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यक्रमों का संचालन। वीरता पुरस्कारों हेतु बच्चों का नामांकन/ चयन।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (झूलाघर, आँगनवाड़ी केंद्र)।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था लगभग 300 सदस्य, जिनमें 212 आजीवन सदस्य।
06	मुख्य अधिकारी का नाम	सचिव
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल। शाखाएँ नहीं हैं।
08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा : वर्ष में एक बार। कार्य. समिति : वर्ष में दो बार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

अध्याय – 8 (मैनुअल-8)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण का नाम : राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई0मेल0	पता
1	श्री नीलम जैन	राज्यपाल के विशेष सहायक	0755	2858840	2858825 2858832	sapiorajbhavan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

सहा. लोक सूचना अधिकारी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी.	दूरभाष	फैक्स	ई0मेल0	पता
1	श्री प्रताप सिंह बारिया	सहायक लेखाधिकारी	755	2858843	2858825 2858832	sapiorajbhavan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

विभागीय अपीलैट अथोरिटी

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी.	दूरभाष	फैक्स	ई0मेल0	पता
1	श्रीमती शिल्पी दिवाकर	नियंत्रक, हाउसहोल्ड	755	2858833	2858825 2858832	comp.rajbhawan@mp. gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल 462052

अध्याय – 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राजभवन में सामान्यतः निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत सचिवालय से नस्ती प्रचलित होकर संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उप सचिव/ अपर सचिव के स्तर से राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

विधिक मामलों में विधि अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है प्रमुख सचिव/सचिव को नस्ती प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां आदि के मामले प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

पदेन कुलाधिपति के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित प्रकरण उपसचिव/अपर सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत किये जाते हैं। विशिष्ट मामले कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ?

लिए गए निर्णय की जानकारी संबंधित को दी जाती है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियोंकी संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

बिंदु क्रमांक 9.1 के अनुसार

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी

प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय के लिए सामान्यतः राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव विभाग प्रमुख की हैसियत से सक्षम हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।

क0सं0 – 1
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)–विधेयकों/अध्यादेश के अनुमति/प्रख्यापन के संबंध में दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया–विधानसभा/राज्य शासन से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।
निर्णय में शामिल अथेरिटी का पदनाम–राज्यपाल के विधि अधिकारी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन –मध्यप्रदेश, भोपाल निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

क०सं० – 2
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – संवैधानिक पदों पर नियुक्ति
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत
निर्णय लेने की प्रक्रिया – राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किए जाकर उनपर आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम-माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव
निर्णय लेने में शामिल अथोरिटी की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

क०सं० – 3
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति/अभ्यावेदनों का निराकरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, राज्य शासन के तहत एवं राज्यपाल में कुलाधिपति के रूप में निहित शक्तियां
निर्णय लेने की प्रक्रिया – संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, अपर सचिव एवं उपसचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है

क०सं० –4
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) –अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त दया याचिका
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – राज्य शासन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर
निर्णय लेने की प्रक्रिया – विधिक परीक्षण के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय से आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन-मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

अध्याय – 10 (मैनुअल – 9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
राजभवन ई-मेल mp rajbhavan@mp.gov.in

नाम/ पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल
		कार्या0	निवास		
श्री डी.पी. आहूजा	0755	2858817	9425304019	2858816	psrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रमुख सचिव		2858818			
श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव		2858820	9131018553	2858816	lorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विधि अधिकारी					
श्री स्वरोचिष सोमवंशी		2858824	8889316666	2858825	dsrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के उप सचिव					
श्री अरविंद पुरोहित		2858827	2858810		
O.S.D					
श्री अभिनव चौकसे		2858828	2858829	2858832	adcrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय			9425012890		
स्व्वा.ली.		2858830	2858831	2858832	adcrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय					
श्री अजय वर्मा		2858835	9425363689	2858832	prorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रेस अधिकारी					
		2858833	2858834	2858825	comp.rajbhavan@mp.gov.in
नियंत्रक, हाउसहोल्ड			8889609353		
श्रीमती नीलम जैन		2858840	9893820655		sapiorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विशेष सहायक					
श्री आलोक दुबे		2858841	4222546	2858825	aorajbhavan@mp.gov.in
अवर सचिव (वित्त)		9977883921			
डॉ0 बृजेश श्रीवास्तव		2858836	2558551		morajbhavan@mp.gov.in
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी		9826320845			
डॉ. राकेश वर्मा		2858836	9425458199		
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ. (श्रीमती) संगीता जैन		2858836	2467708		
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ0 अंकित श्रीवास्तव		2858837	8961206607		
चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथ)					
डॉ. गीता सुकुमारण		2858837	9406533390		
चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)					
श्री विजय गुप्ता		2858813	9893704876	2858816	pstogovrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के निज सचिव					

श्री आर. आर. शर्मा		2858813	2858815	2858816	patogovrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के व्यक्तिक सहायक					
श्री इंद्रजीत सिंह चावड़ा		2858839	9109323155		psotogov@mp.gov.in
मुख्य सुरक्षा अधिकारी					
श्री अंबिका प्रसाद पाल		2858846	2858881		catmrajbhavan@mp.gov.in
कैटरिंग मैनेजर					
श्रीमती शिल्पी दिवाकर,		2858844	2858845		aporajbhavan@mp.gov.in
सहा. सत्कार अधि०			9826991281		
श्री कुलदीप सक्सेना,		2858864	2858894		
उपयंत्रि					
श्री अश्विनी दिनकर		2858865	8989485119		
उपयंत्रि					
श्री दाताराम साहू		2858866	9425027426	—	
उद्यान अधीक्षक					
श्री मनोज बाथम		2858851	9340602729	—	soerajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (स्था०)					
डॉ. राजकुमार जैन		2858848	9425444424	—	sourajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (वि०वि०)					
श्री प्रताप सिंह बारिया		2858843	9424487149	—	aaorajbhavan@mp.gov.in
सहायक लेखा अधिकारी					
श्री संतोष देवड़ा		2858818	2858819		patopsrajbhavan@mp.gov.in
प्रमुख सचिव के निज सहायक			9424444436		
श्रीमती बिसनी शिवदास		2858818	2858892		patopsrajbhavan@mp.gov.in
प्रमुख सचिव के निज सहायक					
श्री शिवनारायण प्रसाद		2858824	9981816703		patoasrajbhavan@mp.gov.in
उप सचिव के निज सहायक					
पी०एस०ओ० कक्ष		2858872			
कंपनी कमांडर		2858871			
स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, राजभवन		2858867			
पोस्ट ऑफिस, राजभवन		2572105			

लायब्रेरियन		2858856			
श्री बी.के. तिवारी		2858852	2858888		
सहायक ग्रेड-1					
श्री अशोक शर्मा (सत्कार सहायक)		9893300813 2858889	2858890		

अध्याय –11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 जानकारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न है :-

LIST OF RAJBHAVAN EMPLOYEE

No.	Name	Designation	Basis	Gross
1	2	3	4	5
1	Shri Davindra Pal Ahuja	Principal Secretary	217600	330752
2	Shri Swarochish Somwanshi	Deputy Secretary to Governor	160300	216262
3	Shri Umesh Kumar Shrivastav	Law officer to Governor	70290	238166
4	Shri Abhinav Chouksey	ADC to Governor	74000	99360
5	Sqd.Leader.	ADC to Governor		
6		Comptroller		
7	Shri Alok Dubey	Under Secretary (Finance)	90400	125945
8	Smt Shilpi Diwakar	Assistant Protocol Officer	57400	77536
9	Shri Arvind Kumar L Purohit	O.S.D.	75000	75000
10	Shri Vipulchandra Jayantibhai Patel	Spl. Asst. to Governor	80000	80000
11	Shri Ambika Prasad Pal	Catering Manager	44600	62655
12	Shri Vijay Gupta	PS to Governor	92700	137835
13	Shri Ram Ratan Sharma	Personal Asstt. To Governor	84900	114656
14	Shri Manoj Kumar Batham	Section Officer	70100	97313
15	Dr. Raj Kumar Jain	Section Officer	98800	136865
16	Shri Pratap Singh Bariya	Assistant Accounts Officer	47300	64122
17	Shri Santosh Kumar Dewara	PA	90400	121876
18	Smt. Bisni Shivadas	PA	62700	84758
19	Shri Shiv Narayan Prasad	PA	54900	76470
20	Smt. Neelam Jain	Special Assistant to Governor	50200	68008
21	Smt. Anju Singh Thakur	Assistant Grade I	44600	62187
22	Shri Basant Kumar Tiwari	Assistant Grade. I	54900	74306
23	Shri Vikas Parashar	Assistant Grade I	45900	64102
24	Shri Indresh Sharma	Assistant Grade I	45900	64002
25	Shri Sunil Kumar Bhoyar	Assistant Grade I	48700	65998
26	Shri Randheer Palkar	Assistant Grade I	53300	74577
27	Smt. Lissy Abraham	Assistant Programmer	58200	80964
28	Smt. Manisha Shrivastava	Assistant Programmer	53300	72162
29	Shri Anand Swaroop Gupta	Assistant Grade II	54100	73429
30	Shri Subhash Kumar Bargle	Assistant Grade II	39600	53749
31	Shri Prakash Barman	Assistant Grade II	38600	52409
32	Kumari Veena Marawi	Assistant Grade II	24900	34482
33	Shri Mahesh Kumar Dhurvey	Data Entry Opertor	46100	62459
34	Shri Shivam Chaturvedi	Data Entry Operator	29400	40938
35	Shri Prateek Kumar Verma	Data Entry Operator	28500	38875
36	Shri Amit Dixit	Assistant Librarian	46100	64099

37	Smt. Sosamma Roy	Assistant Grade III	31200	42493
38	Shri Bahadur Singh Yadav	Assistant Grade III	24700	33783
39	Smt. Vadana Purkam	Assistant Grade III	31200	43694
40	Smt. Kalpana Atulkar	Assistant Grade III	20700	28423
41	Smt. Santosh Kumar Jatav	Assistant Grade III	24700	35048
42	Shri Shesh Rao Ahire	Assistant Grade III	45900	62216
43	Shri Akhilesh Prasad Shukla	Assistant Grade III	28500	39987
44	Shri Manish Routela	Assistant Grade III	27000	36865
45	Shri Shubham Udpadhyay	Assistant Grade III	26100	35659
46	Shri Y Satya Sai Srinivas,	Steno Typist	31200	47279
47	Smt. Rajshree Rajput	Telephone Operater	52500	71035
48	Shri Waheed Khan	Telephone Operater	46100	62459
49	Shri Umesh Kumar Shukla	House Keeper	30300	40925
50	Shri Jeevan Khanna	Driver	32100	43699
51	Shri Santosh Kumar Malviya	Driver	52500	71075
52	Shri Sudhir Singharia	Driver	46100	62499
53	Shri Mahendra Kumar Bhilala	Driver	36200	49233
54	Shri Devendra Dande	Driver	41000	55665
55	Shri Sageer Khan	Driver	51000	69065
56	Shri Zakir Hussain	Driver	46100	62499
57	Shri Farzan Ali	Driver	39800	54057
58	Shri Ramesh Chandra Jangade	Cleaner	31500	42802
59	Shri Ram Pal	Cleaner	31500	42820
60	Shri Yank Bahadur	Cook Grade II	32200	43758
61	Shri Kanta Prasad Sharma	Cook Grade II	33200	45098
62	Shri Kamlesh Dalodiya	Assistant Cook	25000	34101
63	Shri Uma Nath Pandey	Assistant Cook	24300	33172
64	Shri Mohd. Ishaq	Butler	35200	47778
65	Shri Bhoj Raj Sharma	Waiter	34400	46706
66	Shri Abdul Firoz Khan	Waiter	26400	35786
67	Shri Madhukar Rao Dharanwar	Waiter	26400	35986
68	Shri Vijay Kumar Batham	Waiter	29700	40408
69	Shri Mukesh Joshi	Waiter	26400	35986
70	Shri Sheshram Ram Chhanta	Mate	26600	36254
71	Shri Bharat Bhushan Ogale	Caretaker	38500	52200
72	Shri Badri Prasad Pathak	Jamadar	39700	53808
73	Shri Ashok Kumar Sharma	Protocol Asstt.	34400	46706
74	Smt Asha Rawtel	Daftari	34400	46506
75	Shri T. Sahadevan	Chobdar	38500	52200
76	Shri Ram Sharan Mishra	Choukidar	31500	42820
77	Shri Abdul Sattar	Choukidar	30600	41614
78	Shri Rohit Kumar Tiwari	Choukidar	31500	42820
79	Shri Bishan Singh Dabar	Peon	25000	34101
80	Shri Ajay Kumar Saini	Peon	20300	28883
81	Shri Santosh Kumar Rajbhar	Peon	29000	39470
82	Shri Mubarik Ali	Peon	30600	41414
83	Shri Sumer Singh	Peon	30600	41614
84	Shri Niraj Kumar Sahu	Peon	30600	41614

85	Shri Vijay Jondhale	Peon	30600	41614
86	Smt Chandra Bhaga Nikose	Peon	30600	41614
87	Smt. Shweta Uikey	peon	25000	34110
88	Shri Shanu Khan	peon	23600	32234
89	Smt. Sunita Kelkar	peon	21500	29420
90	Smt. Motiya Nakwal	peon	26600	37272
91	Smt. Bhagwati Verma	Khallasi	20300	28112
92	Shri Kubhilal Sanodiya	Khallasi	35200	47778
93	Shri Baliram Arya	Khallasi	29000	39470
94	Shri Prakash Kumar Sanodiya	khallasi	31500	42820
95	Shri Rukmgat Sharma	khallasi	30600	41614
96	Shri Manohar Lal	khallasi	30600	41614
97	Shri Sitaram Mourya	Khallasi	28200	38398
98	Shri Kishan Nath	Khallasi	31500	42820
99	Shri Shobha Ram Patidar	Khallasi	36300	49252
100	Smt Geeta Panthi	Khallasi	26600	36254
101	Smt. Motan More	Khallasi	26600	36254
102	Shri Suraj Singh	Khallasi	26600	36254
103	Shri Satyendra Singh Baghel	Khallasi	31500	42802
104	Shri Niranjan Singh Sahu	Khallsi	34400	46706
105	Shri Raguveer Prasad	Khallasi	34400	46706
106	Shri Chandra Mani Wankhede	Khallasi	30600	41614
107	Shri Suresh Chandra Sharma	Khallasi	34200	46438
108	Shri Dil Bahadur	Khallasi	30600	41614
109	Smt. Ruma Bai	Safai Jamadar	30600	41614
110	Shri Surendra Chutelkar	Safai Jamadar	29700	40408
111	Shri Dayaram Chapare	Sweeper	30600	42794
112	Smt. Premda Bai	Sweeper	30600	41614
113	Shri Prem Narayan Maliviya	Sweeper	25000	34101
114	Shri Sharda Untwal	Sweeper	25000	35400
115	Smt. Sampat Bai	Sweeper	30600	41614
116	Shri Ramdas Virha	Sweeper	30600	41614
117	Shri Kamta Prasad	Sweeper	30600	41614
118	Shri Mulchand Basor	Sweeper	25000	35068
119	Shri Seetaram Chhawar	Sweeper	30600	42794
120	Shri Rakesh Kanojiya	Dhobi	25800	35182

अध्याय-12 (मैनुअल-11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

2.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये लागू नहीं

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये (वर्ष 2022-23)

क्र.सं.	मद	स्वीकृत बजट (राशि रूपयों में)	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय अगस्त-22 तक
1.	2012-03- भारत	14,93,07,000 (भारत)	14,93,07,000	4,80,64,234
2.	2012-03- मतदेय	2,41,00,000 (मतदेय)	2,41,00,000	63,16,168

अध्याय –13 मैनुअल

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध हैं।

- कार्यक्रम/योजना का नाम – विवेकाधीन अनुदान
 - कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा – वित्तीय वर्ष
 - कार्यक्रम का उद्देश्य– विवेकाधीन अनुदान में निम्न प्रयोजन शामिल है :-
 1. ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार
 2. पाठशाला के योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार।
 3. विधवा स्त्री एवं मुक्त बंधुआ मजदूर की लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता
 4. अत्यंत गरीब व्यक्ति को सहायता
 5. अनाथ या अपंग को सहायता
 - कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) – निरंक
 - लाभार्थी की पात्रता – कार्यक्रम के उद्देश्य में समाहित है।
 - पूर्वापेक्षाएं – निरंक
 - अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – आवेदन द्वारा
 - पात्रता निश्चित करने के लिए मानदंड – कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल बिंदुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा माननीय की वांछानुसार दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)–म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश भोपाल, दिनांक 4 दिसंबर 1995 क्रमांक एफ.ए. 2-49/95/एक (1) के अनुसार
 - अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया – स्वीकृति उपरांत चेक/डी.डी. द्वारा
 - आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें–राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, राजभवन म.प्र. भोपाल
 - आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
 - अन्य शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
 - आवेदन का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) – सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेज के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित।
 - संलग्नकों की सूची – यथा आवश्यक
 - संलग्नकों का प्रारूप – निरंक
 - प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें – राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, राजभवन, म.प्र. भोपाल
 - उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) – राजभवन सचिवालय का सहायक कार्यालय नहीं है।
-

अध्याय – 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 निरंक

अध्याय – 15 (मैनुअल – 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराये।

निरंक

अध्याय- 16 (मैनुअल-15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

16.1 निरंक

अध्याय- 17 (मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे –

- अभिलेखों का निरीक्षण – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
- लोक प्राधिकरण की वेबसाइट – <https://governor.mp.gov.in>

अध्याय – 18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे किया जाए।
उत्तर – निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा।

प्रश्न – आवेदन किसको प्रस्तुत किया जाए।
उत्तर – राज्यपाल के विशेष सहायक को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है, आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राज्यपाल के विशेष सहायक) को प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रश्न – आवेदन के साथ कितना शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर – शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को शुल्क से छूट है।

प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या जानकारी दी जा सकती है।
उत्तर – नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत जानकारी कितने समय में प्राप्त होगी।
उत्तर – आवेदन देने के 30 दिवस के अंदर।

प्रश्न – आवेदन किस भाषा में भरा जा सकता है।
उत्तर – हिन्दी या अंग्रेजी में

प्रश्न – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर क्या प्रावधान है।
उत्तर – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर बाद में निःशुल्क दी जावेगी।

प्रश्न – इस संबंध में अपील करने का क्या प्रावधान है।
उत्तर – लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के नियंत्रक, हाउसहोल्ड को की जावेगी। नियंत्रक, हाउसहोल्ड के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में – प्रपत्र एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

0.1 आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)

1. आवेदक का नामरामप्रसाद.....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है..... ग्राम-पोस्ट गुरैया जिला-छिन्दवाड़ा म.प्र. 48001
3. दूरभाष क्रमांक.....07162 -256535
4. आवेदन देने का दिनांक15 सितंबर 2005
5. कार्यालय का नामराजभवन- म.प्र., भोपाल
6. चाही गई जानकारी का विवरण- 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2003 तक जमा किये गये विद्युत देयकों (कृषि पम्प) की राशि का समायोजन बाबत प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही।
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना नकल.....
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी- रुपये 10/- नगद/स्टाम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्रमांक.....100.....एवं दिनांक.....14.10.05
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां/नहीं - नहीं.....
यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

सही

(आवेदन कर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प/भारतीय पोस्टल आर्डर चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक --- 14.10.05
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक --- 25.10.05
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी.....राज्यपाल के विशेष सहायक (लोक सूचना अधिकारी)

दिनांक...14.10.05

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (रबर सील)

0.2 शुल्क

- अ. आवेदन पत्र के साथ 10/- का शुल्क नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लगाना अनिवार्य है। (बी.पी.एल. आवेदक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित बी.पी.एल. प्रति प्रस्तुत करने पर शुल्क मुक्त)

- ब. दस्तावेज/अभिलेखों की फोटोकापी हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित शुल्क।
- स. प्रामाणिक नमूना प्रदाय किये जाने हेतु वास्तविक लागत जैसा लोक सूचना अधिकारी निर्धारित करे।
- द. प्रथम अपील शुल्क 50/- तथा द्वितीय अपील शुल्क 100/- नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है। (बी.पी.एल. आवेदक शुल्क मुक्त)
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए—कुछ टिप्स
संलग्न प्रपत्र क्रमांक -1 भरकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
 - सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के नियंत्रक को की जावेगी जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित हैं। अपीलीय अधिकारी के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

- 18.3 निरंक
- 18.4 निरंक
- 18.5 निरंक
- 18.6 निरंक
- 18.7 निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी, वार्षिक प्रतिवेदन – वर्ष 2021												
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2020 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2021 को लंबित आवेदनों की संख्या (लागत राशि अप्राप्त के कारण)	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण		
										सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	श्री राजेश बरसैयों गुप्ता	23	206	229	205	24	16	1260	9061	10321	-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी, वार्षिक प्रतिवेदन – वर्ष 2021									
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2020 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 31.12.2021 को लंबित अपीलों की संख्या	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	रिमार्क
1	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल	श्रीमती शिल्पी दिवाकर	निरंक	22	22	22	निरंक	650	8 अपीलें ग्राह्य योग्य न होने से वापस, 1 बीपीएल अपीलार्थी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी, वार्षिक प्रतिवेदन – 2021									
क्र.	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या				प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या			
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	रिमार्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	प्रशिक्षण की आवश्यकता है

वर्ष 2021 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत "SUBSTANTIALLY FINANCED" की श्रेणी में आती है।			
अनुक्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम व पता	रिमार्क
1	2	3	4
	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक	

